

प्ररूप-28

[नियम 21(3) और 22(4)]

पंजीकरण प्रमाणपत्र

(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अधीन)

प्ररूप सं० 27 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात, किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1) के अंतर्गत..... तारीख से, बाल देखरेख संस्थान के तौर पर .....वर्ष की अवधि तक के लिए वैध पंजीकरण सं० .....प्रदान किया जाता है।

.....बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

.....201 का ..... दिन

(हस्ताक्षर)

मुहर

नाम व पदनाम.....